

अध्याय—13

रियायतें, परमिट या के प्राप्त कर्ता के विवरण

लोकप्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान

{धारा 4 (1) (बी) (xiii)}

निम्नलिखित प्रारूप में प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वालों के नाम और पते प्रदान करें।

संस्थागत लाभार्थी

कार्यक्रम/योजना का नाम				
स.क्र	प्राप्तकर्ता संस्थानों का नाम और पता	लाभ की प्रकृति/मात्रा	अनुदान की विधि	अधिकार देने का नाम और पदनाम
01	शासकीय विद्यालय	निर्माण कार्य एवं फर्नीचर क्रय	शासक मण्डल से अनुमोदन उपरांत	अध्यक्ष, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल